मानक शर्तो सम्बन्धी प्रमाण– पत्र

विषयः–जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र0 जल निगम मथुरा द्वारा उ0प्र0 पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्यौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी0 लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे0 वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

(वन अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दिनांक 31.12.85 द्वारा निर्धारित)

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. उ0प्र0 जल निगम मथुरा द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलबध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण हेतु प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श उ0प्र0 जल निगम मथुरा द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी किया जायेगा।

20/9/2021

योगेश कुमार शर्मा
परियोजना प्रबंधक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई
उ0प्र0 जल निगम, मथुरा

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण हेतु यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है, और भूमि को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मै ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र0 जल निगम मथुरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उ0प्र0 जल निगम मथुरा को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

20/9/2021
योगेश कुमार शर्मा
परियोजना प्रबंधक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई
उ0प्र0 जल निगम, मथुरा